आदेश की क्रम सं0 और तारीख

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id :- dccourt.grd@gmail.com)

अनुज्ञप्ति रद्द अपील वाद सं0–03/2021

प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह –बनाम– राज्य

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

1	2	3
12.11.2021	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह अपीलवाद प्रगतिशील किसान स्वयं सहायता समूह, ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति सं0–05/2014 की अध्यक्ष व सचिव के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश, 2019 के कंडिका 30 के तहत् अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा पारित आदेश, दिनांक 09.07.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है। उक्त वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:– अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया के आदेश ज्ञापांक 19/आ0, दिनांक 09.07.2021 के तहत् अपीलार्थी द्वारा लक्षित उपभोक्ताओं को कम मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कारण ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति सं0–05/2014 को रद्द किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपीलवाद दायर किया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क की स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई तथा सुनवाई की विभिन्न तिथियों में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–** 1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् लाइसेंस से संबंधित किसी भी नियम व कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है। 2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा ई–पॉश मशीन से नियमित रूप से व निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाता रहा है। 3. यह कि, शिकायतकर्त्ता अनोखी देवी द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। जनवरी, 2018 में ई–पॉश मशीन में शिकायतकर्त्ता के कुल 17 सदस्यों का नाम अंकित दिखाई दिया एवं तब से ही उन्हें 85 किग्रा चावल प्रतिमाह दिया जाने लगा। इसकी पुष्टि स्वयं शिकायतकर्त्ता अनोखी देवी द्वारा समर्पित हलफनामा, दिनांक 05.01.2018 में किया गया है, जिसमें वर्णित है कि अनोखी देवी सभी 17 सदस्यों के अनाज का उठाव कर रही थी। 4. यह कि, शिकायतकर्त्ता अनोखी देवी के परिवार एवं अपीलार्थी(रीता देवी, अध्यक्ष) के परिवारजनों के बीच आपसी जमीनी विवाद चलता है। इसी द्वेष से ग्रसित होकर शिकायतकर्त्ता द्वारा सभी स्तर पर अपीलार्थी का शिकायत किया जाता रहा है। 5. यह कि, कुल 126 कार्डधारियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित कर अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को निलंबनमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है एवं यह घोषणा किया गया है कि उक्त ज0वि0प्र0 विक्रेता समूह से राशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी।

6. यह कि, अपीलार्थी द्वारा स्टॉक पंजी, बिक्री पंजी आदि में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है।
7. यह कि, अपीलार्थी द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश, 2019 के तहत् अनुज्ञप्ति शर्त से संबंधित किसी भी प्रकार के नियम व कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
8. यह कि, उक्त अपील को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी के ज0वि0प्र0 अनुज्ञप्ति सं0–05/2014 पुर्नबहाल करने की कृपा की जाय।

अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2021 में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–

यह कि राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2020 के तहत् जन वितरण प्रणाली के दुकान को दोषी मानते हुए फरवरी, 2018 से मार्च, 2020 तक कम उपलबध कराए गए खाद्यान्न 55 किग्रा प्रति माह की दर से शिकायतकर्त्ता अनोखी देवी को उपलबध कराने का निदेश दिया गया है। स्पष्टतः जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा कार्डधारी को कम राशन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही राजेन्द्र प्रसाद यादव एवं अन्य 10 कार्डधारियों द्वारा लिखित रूप में शिकायत की गई है कि हम सभी कार्डधारियों को मई एवं जून, 2020 का राशन उक्त विक्रेता के द्वारा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी राशन डीलर द्वारा प्रति राशन कार्ड 02 से 03 किग्रा कम राशन दिया जाता रहा है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी(जन वितरण प्रणाली किसान स्वयं सहायता समूह) द्वारा लक्षित उपभोक्ताओं को कम मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। अतः झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश, 2019 के कंडिका 20(XXVIII)(ख) के प्रावधानों के तहत् अनुज्ञप्ति सं0–05/2014 को रद्द किया गया है।

राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा इस मामले में दिनांक 08.12.2020 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :–

1. शिकायतकर्त्ता अनोखी देवी पर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिरनी द्वारा राशि वसूली नोटिश को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा रद्द कर दिया गया।
2. फरवरी, 2018 से मार्च, 2020 तक का शेष खाद्यान्न कुल 11 यूनिट अर्थात् 55 किग्रा प्रतिमाह की दर से कुल 14.30 क्विंटल चावल आवेदिका अनोखी देवी को प्रशासन अपनी जिम्मेवारी से उपलब्ध करा दें तथा प्राप्ति की सूचना आयोग को उपलब्ध कराये।
3. आरोपित जन वितरण प्रणाली दुकान से 32.64 रूपये की दर से रिकवरी ली जाय न कि 22.50 रूपये की दर से।
4. आरोपित जन वितरण प्रणाली के विक्रेता पर झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के तहत् दोषी पाए जाने से संबंधित दोष सिद्ध होने के उपरान्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह का उक्त वाद में यह अभिकथन है कि बिना दोष सिद्ध किए ही अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। चूँकि राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा शिकायतकर्ता को कुल 14.30क्विंटल चावल उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा विभाग को दिनांक 12.12.2020 को ही वापस कर दिया गया था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा उक्त चावल का उठाव न करना न केवल आयोग के आदेश की अवहेलना करना है बल्कि उनके उक्त कृत्य से न केवल अपीलार्थीगण बल्कि समूह के अन्य सदस्यगण भी आर्थिक रूप से प्रभावित हो जाऐंगे।

–: विचारण व निर्णय :–

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत तर्क, संबंधित पदाधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1. यह कि, प्रश्नगत अनुज्ञप्ति सं0–05/2014 व्यक्तिगत न होकर समूह के नाम निर्गत है, जिसके अपीलार्थीगण क्रमशः अध्यक्ष व सचिव है।
2. यह कि, अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञप्ति को निलंबनमुक्त करने के संबंध में कुल 126 स्वतंत्र कार्डधारियों द्वारा हस्ताक्षरित जवाब समर्पित किया गया है कि उक्त ज0वि0प्र0 विक्रेता(अपीलार्थी) द्वारा नियमित व निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया जाता रहा है।
3. यह कि, झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली(नियंत्रण) आदेश, 2019 के कंडिका 20(XXI) के तहत् स्पष्ट वर्णित है कि "अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारणपृच्छा करना आवश्यक है। इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिया जाएगा।"
4. यह कि, उक्त नियमावली के कंडिका 20(XXII) के तहत् वर्णित है कि "अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी। अनुज्ञप्ति निलंबन के 90 दिनों के भीतर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरांत इस विषय में अंतिम निर्णय लेना आवश्यक होगा। 90 दिनों तक अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति स्वतः निलंबनमुक्त मानी जाएगी।"
5. यह कि, उक्त नियमावली के कंडिका 20(XXVII) के तहत् वर्णित है कि "अनुज्ञप्ति निलंबन के पूर्व संबंधित विक्रेता से कारणपृच्छा करना होगा एवं उसे स्पष्टीकरण देने का यथोचित मौका दिया जाएगा।"
6. यह कि, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 3115/आ0, दिनांक 07.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी के उक्त अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए की गई कारणपृच्छा उपर्युक्त नियमावली के कंडिका 20(XXI) एवं 20(XXVII) के ठीक विपरीत प्रतीत होता है।
7. यह कि, उक्त अनुज्ञप्ति दिनांक 07.10.2020 को निलंबित एवं दिनांक 09.07.2021 को रद्द की गई थी, परन्तु उपर्युक्त नियमावली के कंडिका20(XXII) के तहत् उक्त अनुज्ञप्ति 07.01.2021 को स्वतः निलंबनमुक्त हो गई थी, जिसका संज्ञान अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया के द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व नहीं लिया गया।
8. यह कि, निलंबन के उपरान्त कार्यवाही चलाने का नियम है, परन्तु अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर–सरिया द्वारा पारित आदेश में कहीं भी इसका वर्णन अंकित नहीं है।
9. यह कि, निलंबन रद्द करने का आदेश सिर्फ सचिव(अपीलार्थी) को लक्ष्य कर पारित किया गया प्रतीत होता है, जो कि केवल शिकायतकर्त्ता अनोखी देवी के बयान पर आधारित है। आपसी विवाद का अनुज्ञप्ति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र कार्डधारियों तथा समूह के अन्य 09 सदस्यों से इस संबंध में कोई कारण पृच्छा अथवा उनका पक्ष नहीं प्राप्त किया गया। साथ ही समूह के एक सदस्य द्वारा यदि कोई गलती की गई हो, जिसकी भरपाई उन्होंने आयोग के आदेश के आलोक में कर दी है, तो अपीलार्थी पर की गई उक्त कार्रवाई

समूह के बाकी सदस्यों पर स्वतः लागू हो जाती है, जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध प्रतीत होता है।

10. यह कि, विद्वान सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह का द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर विद्वान सहायक लोक अभियोजक, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के कंडिका 30 के तहत् अनुमण्डल पदाधिकारी, बगोदर—सरिया द्वारा पारित आदेश, दिनांक 09.07.2021 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए अनुज्ञप्ति सं0—05/2014 को अपीलार्थी के पक्ष में पुनर्बहाल किया जाता है एवं तद्नुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संबंधित पक्ष आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Rahul

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.11.22 17:16:57 +05:30
Location: 192.168.149.138